(ख) क्या इस परियोजना के अंतर्गत इस डूब क्षेत्र का विस्तार होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि मध्य प्रदेश की और अधिक भूमि इस में न आए ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में जलमग्नता का क्षेत्र संशोधित किया है जो 253 हैक्टेयर (625 एकड़) है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से उसके क्षेत्र को जलमग्नता के लिए सहमति प्राप्त करनी है।

उत्तर प्रदेश में टोंस नदी पर बांध का निर्माण

3486. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर उदवहन सिंचाई परियोजना हेतु एक बांध का निर्माण कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाढ़ आने पर इस बांध से मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र और आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने डूब में आने वाले क्षेत्रों और पानी के बंटवारे के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली है;

(घ) मध्य प्रदेश की भूमि, संपत्ति और आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) क्या केंद्रीय सरकार ने इस परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस परियोजना का वित्तपोषण किस प्रकार से किया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ उसकी सीमा के निकट अनुमोदित टोंस नहर परियोजना के अनुसार उसी स्थान पर एक बड़े क्रेस्टिड वीयर का निर्माण शुरू किया है । तथापि यह विवाद है कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रों और आबादी पर जलमग्नता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(घ) उत्तर प्रदेश ने, जहां कहीं आवश्यक हो, बंधों के निर्माण द्वारा मध्य प्रदेश में प्रभावित भूमि की सुरक्षा का आश्वासन दिया है ।

(ङ०) और (च) पम्प टोंस नहर परियोजना योजना आयोग द्वारा मार्च, 1969 में अनुमोदित की गई थी । अगस्त, 1990 में संशोधित परियोजना प्रस्ताव पर, उत्तर प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश क्षेत्रों की जलमग्नता के बारे में उस राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है । उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश सरकार से सहमति के अभाव से वीयर का निर्माण स्थगित कर दिया गया है ।

Damage of property due to flood in Assam

3487. SHRI BHADRESWAR BURAGOHAIN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the total amount of loss of property and crops damaged by the recent flood in Assam;

(b) what is the amount of relief sanctioned by the Central Government to Assam; and

(c) whether the relief measures taken by State are adequate?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) During recent floods in Assam, a total area of about 1,21,000 hectares incuding 29,600 hectares of cropped area have been affected.

(b) A total amount of Rs. 11.25 crores, out of Rs. 22.5 crores allocated by the Centre in the current year under Calamity Relief Fund for relief operations in the wake of natural calamities including floods, has been released to the State Government.

(c) Adequate relief measures on immediate basis have been provided.

गुजरात में सार्वजनिक नलकूपों का लगाया जाना

3488. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या जल संसाधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से सार्वजनिक नलकूप लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से मिली सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विश्व बैंक की सहायता से किन-किन स्थानों पर वे नलकूप लगाए गए ; और

(ङ) वर्ष 1992 में विश्व बैंक की सहायता से राज्य में कितने नलकूप लगाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी, नहीं ।

(ग) गुजरात सरकार ने सिंचाई नलकूपों के निर्माण के लिए विश्व बैंक सहायता अब तक प्राप्त नहीं की है ।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान सरकार द्वारा टिहरी बांध के जल में अपने हिस्से की मांग

3489. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने टिहरी बांध से कितने जल का हिस्सा मांगा है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार कितना जल उपलब्ध करायेगी और ऐसा कब तक किया जाएगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है !

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने राजस्थान में क्षेत्रों के लिए टिहरी बांध परियोजना जल का 10 प्रतिशत आबंटित करने के वास्ते उत्तर प्रदेश सरकार को राजी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक पत्र लिखा है। तदनुसार यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को जुलाई, 1988 में तथा इस मंत्रालय को सितम्बर, 1988 में सूचित किया कि टिहरी बांध परियोजना पर गंगा जल की वचनबद्धताओं को देखते हुए राजस्थान के क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति करना संभव प्रतीत नहीं हुआ । राजस्थान सरकार को अक्तूबर 1988 में सलाह दी गयी कि वह यह मामला यमुना पर अन्तर्राज्यीय बैठक के समक्ष लाए । यमुना विवाद पर विचार करने के लिए जल संसाधनों में अंतर्राज्यी